तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मालाराम बनाम रूगनाथ वगैरा धारा 111,128 प्रकरण सख्या 90 / 2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/9/2021	प्रकरण सख्या 90 / 2020 धारा 111,128 एलआरएक्ट मालाराम बनाम रूगनाथ वगैरा के जरिये पत्रावली पेश हुई। जो दर्ज रजिस्टर किया गया। वकुलाया उपस्थित। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि पत्रावली मे पूर्व मे अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता हनुमान प्रजापति द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। तहसीलदार लूणी की जॉच रिपोर्ट हेतु तहसीलदार लूणी को दिनांक 12.02.2021 को तहरीर जारी की गई। जिसकी पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द पेंश हुई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे यह जाहिर किया की हमारी खरीद सुद्वा भूमि ग्राम सालावास रेल्वे स्टेशन के खसरा नबर 302 रकबा 30 बीधा 11 बिस्वा कृषि भूमि भगवान राम वगैरा से रजिस्टर्ड बेचानानामा दिनांक 16.06.1986 मे खरीद की गई। उक्त बेचाननामे मे भगवान राम वगैरा ने बेचान की गई भूमि का मौका हम प्रार्थीगण को सुपुर्द कर दिया गया एवं उसी मौके अनुसार रजिस्टर्ड बेचाननामे मे पडौस लिखे गयें। बेचाननामे मे लिखे गये पडौस अनुसार प्रार्थीगण आज दिन तक काबिज है इसी अनुसार प्रार्थीगण ने भी अलग-अलग बेचाननामो के आधार पर उक्त खसरान की कृषि भूमि को खरीद की गई। कृषि भूमि मे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बेचाननामो मे पडौस व दिशाऐ खोली गई है एवं उसी अनुसार काबिज है परन्तु उक्त बेचाननामो के आधार पर राजस्व नक्शे मे तरमीम नही की गई जो राजस्व नक्शे मे की जावे। प्रकरण मे पत्रावली पर उपलब्ध बेचाननामो जिसके आधार पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने उक्त कृषि भूमि को खरीदा किया उसमे वर्णित पडौस पटवारी हल्का द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सख्या 01 से 04 के पक्ष मे निष्पादित बेचाननामो मे वर्णित पडौस अनुसार समस्त तथ्यो की जॉच कर राजस्व रेकर्ड के नक्शे मे तरमीम कर मौके पर पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट पेश करे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर)	